

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 44/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरबंस सिंह पुत्र राम सिंह, जाति जटसिख निवासी एम-24, शालीमार बाग, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।	1. हरतेज सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. मखन सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी प्लॉट नं0 04 गुरूनगर, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर। 3. गुरजन्त सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 4. कुलवन्त सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

तारीख रजू:- 30.03.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी


2. श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

--निर्णय--

दिनांक: 22.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लखिया तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्बत 2075-2078 के मुताबिक खाता संख्या 8 में 0.807 हैक्टर, खाता संख्या 91 में 0.379 हैक्टर व चक 20 एच के खाता संख्या 97 के 1.707 हैक्टर कुल 2.893 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 हरतेज सिंह के नाम चक 20 एच के खाता संख्या 93 के 0.380 हैक्टर, खाता संख्या 98 के 1.898 हैक्टर व चक 22 एच के खाता संख्या 73 के 0.807 हैक्टर कुल 3.085 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 मखन सिंह के नाम चक 20 एच के खाता संख्या 100 में 1.709 हैक्टर व चक 22 एच के खाता संख्या 74 में 0.807 हैक्टर कुल 2.516 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 गुरजन्त सिंह के नाम चक 20 एच के खाता संख्या 99 के 1.707 हैक्टर, खाता संख्या 94 के 0.379 हैक्टर व चक 22 एच के खाता संख्या 75 के 0.806 हैक्टर कुल 2.892 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 कुलवन्त सिंह के नाम चक 22 एच के खाता संख्या 76 के 0.807 हैक्टर व चक 20 एच के खाता संख्या 95 के 0.379 हैक्टर व खाता




उपखाण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 101 के 1.833 हेक्टर कुल 3.019 हेक्टर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में अलग अलग खाता में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में सगे भाई हैं तथा पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर सहमति से शांतिपूर्वक निरंतर कृषि चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व अभिलेख में हमारे नाम कब्जा से भिन्न भूमि दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है, जिसके अनुसार वादी को चक 22 एच के मुरब्बा नं० 2 के किला नं० 4 के 0.025 हेक्टर, किला नं० 5 के 0.025 हेक्टर, किला नं० 6 के 0.253 हेक्टर, किला नं० 7 के 0.253 हेक्टर, किला नं० 13/3 के 0.060 हेक्टर, किला नं० 13/4 के 0.034 हेक्टर, किला नं० 14/2 के 0.127 हेक्टर, किला नं० 15/3 के 0.110 हेक्टर, किला नं० 15/4 के 0.017 हेक्टर व मुरब्बा नं० 3 के किला नं० 1 के 0.038 हेक्टर, किला नं० 2 के 0.050 हेक्टर, किला नं० 9/2 के 0.026 हेक्टर, किला नं० 10 के 0.228 हेक्टर व मुरब्बा नं० 55/2 के 0.065 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता व मुरब्बा नं० 55/3 के 0.107 हेक्टर गैर मुमकिन खाला व चक 22 एच के मुरब्बा नं० 57 के किला नं० 4/2 के 0.063 हेक्टर, किला नं० 5 के 0.240 हेक्टर, किला नं० 6/2 के 0.076 हेक्टर, किला नं० 15/1 के 0.153 हेक्टर, किला नं० 16/1 के 0.227 हेक्टर, किला नं० 16/2 के 0.026 हेक्टर व किला नं० 17/2 के 0.050 हेक्टर, किला नं० 24/2 के 0.050 हेक्टर, किला नं० 25 के 0.253 हेक्टर व मुरब्बा नं० 13 के किला नं० 23 के 0.065 हेक्टर, किला नं० 25 के 0.156 हेक्टर, मुरब्बा नं० 50 के किला नं० 5/1 के 0.116 हेक्टर कुल रकबा 2.893 हेक्टर नहरी भूमि हिस्सा में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि काशत मुताबिक अपने नाम दर्ज नहीं होने के कारण, वादी एवं प्रतिवादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, टेकरा पर काशत करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपनी काशत मुताबिक भूमि अपने नाम घोषित करवाना चाहते हैं। वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम कब्जा व काशत के अनुरूप भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेते, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम पारिवारिक परेशानियों के चलते ऐसा नहीं कर सकते, हम अन्य कार्यों में काफी व्यस्त हैं। यही वाद कारण है। इसके पश्चात् वादी द्वारा कब्जा व काशत के अनुरूप भूमि का राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु, तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर व राजस्व पटवारी के समक्ष उपस्थित हुआ तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु हिदायत दी। इसलिए प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय



उपस्थित
श्री करणपुर

वादा में वाद पत्र समिप्त करने के अतिरिक्त अन्य विवरण इस वादी के पत्र में नहीं है। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादापत्र न्यायालय के अधिकार, अज्ञानाधिकार, एम कोर्ट में पेश किया है। अतः वाद पत्र का निर्देश है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर, डिप्टी कमिश्नर वादी के अंश चक्र 22 एच के मुम्बिया नं 2 के किला नं 4 के 0.025 हैक्टर, किला नं 5 के 0.025 हैक्टर, किला नं 6 के 0.253 हैक्टर, किला नं 7 के 0.253 हैक्टर, किला नं 13/3 के 0.060 हैक्टर, किला नं 13/4 के 0.034 हैक्टर, किला नं 14/2 के 0.127 हैक्टर, किला नं 15/3 के 0.110 हैक्टर, किला नं 15/4 के 0.017 हैक्टर व मुम्बिया नं 3 के किला नं 1 के 0.038 हैक्टर, किला नं 2 के 0.050 हैक्टर, किला नं 9/2 के 0.026 हैक्टर, किला नं 10 के 0.228 हैक्टर व मुम्बिया नं 35/2 के 0.065 हैक्टर पर मुम्बिकन रास्ता व मुम्बिया नं 55/3 के 0.107 हैक्टर पर मुम्बिकन खाता व चक्र 22 एच के मुम्बिया नं 57 के किला नं 4/2 के 0.063 हैक्टर, किला नं 5 के 0.240 हैक्टर, किला नं 6/2 के 0.076 हैक्टर, किला नं 15/1 के 0.153 हैक्टर, किला नं 16/1 के 0.227 हैक्टर, किला नं 16/2 के 0.026 हैक्टर व किला नं 17/2 के 0.050 हैक्टर, किला नं 24/2 के 0.050 हैक्टर, किला नं 25 के 0.253 हैक्टर व मुम्बिया नं 13 के किला नं 23 के 0.065 हैक्टर, किला नं 25 के 0.156 हैक्टर, मुम्बिया नं 50 के किला नं 5/1 के 0.116 हैक्टर कुल रकबा 2.893 हैक्टर नहरी धुनि नय खाता व रास्ता का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जॉयने सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सिंह उपस्थित आए। वादी हरबंस सिंह, प्रतिवादीगण हरतेज सिंह, मखन सिंह, गुरजन्त सिंह, कृतदन्त सिंह ने न्यायालय में उपस्थित आकर समझौता पत्र पेश किया दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौता पत्र दोनो पक्षों की पहचान सुनाया गया दोनो पक्षों के द्वारा समझौता पत्र सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौता पत्र तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई दोनो पक्ष प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार वादपत्र डिप्टी किया जाने पर सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

--:आदेश:-

अतः माफिक दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र मुताबिक अंतिम डिप्टी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व


उपसह अतिरिक्त (राजस्व)
श्री कटपपुर

ग्राम 20 एच, पटवार हलका- 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केमरगंसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में खाता संख्या 91/5, 93/91, 94/91, 95/91, 98/72, 97/72, 99/72, 100/72 व राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हलका- दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में खाता संख्या 8/43, 73/8, 74/8, 75/8, 76/8 की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिदयत सकूनत	च क	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	हरबंस सिंह पुत्र राम सिंह, जाति जटसिख निवासी एम-24, शालीमार बाग, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।	22 एच	2	4	0.025 हेक्टेयर	नहरी	0.22	
				5	0.025 हेक्टेयर	नहरी	0.22	
				6	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25	
				7	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25	
				13/3	0.060 हेक्टेयर	नहरी	0.53	
				13/4	0.034 हेक्टेयर	नहरी	0.30	
				14/2	0.127 हेक्टेयर	नहरी	1.13	
				15/3	0.110 हेक्टेयर	नहरी	0.98	
				15/4	0.017 हेक्टेयर	नहरी	0.15	
				3	1	0.038 हेक्टेयर	नहरी	0.34
			2		0.050 हेक्टेयर	नहरी	0.44	
			9/2		0.026 हेक्टेयर	नहरी	0.23	
			10		0.228 हेक्टेयर	नहरी	2.03	
			55/2		0.065 हेक्टेयर	मै.मु.रा.	0.0	
			55/3		0.107 हेक्टेयर	मै.मु.खा.	0.0	
			57		4/2	0.063 हेक्टेयर	नहरी	0.56
					5	0.240 हेक्टेयर	नहरी	2.13
					6/2	0.076 हेक्टेयर	नहरी	0.68
					15/1	0.153 हेक्टेयर	नहरी	1.36
				16/1	0.227 हेक्टेयर	नहरी	2.02	
				16/2	0.026 हेक्टेयर	नहरी	0.23	
				17/2	0.050 हेक्टेयर	नहरी	0.44	
24/2	0.050 हेक्टेयर	नहरी		0.44				
25	0.253 हेक्टेयर	नहरी		2.25				
13	23	0.065 हेक्टेयर		नहरी	0.58			
25	0.156 हेक्टेयर	नहरी	1.39					
50	5/1	0.116 हेक्टेयर	नहरी	1.03				
2	हरतेज सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील	20 एच	13	1	0.228 हेक्टेयर	नहरी	2.03	
				2	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25	
				3	0.139 हेक्टेयर	नहरी	1.24	
				8/1	0.139 हेक्टेयर	नहरी	1.24	



जयपुर जिलाधिकारी (राजस्व)
 श्री जयपुर


श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।								
				9	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				10	0.228	हेक्टेयर	नहरी	2.03
				11	0.227	हेक्टेयर	नहरी	2.02
				12	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				13/2	0.139	हेक्टेयर	नहरी	1.24
				18	0.139	हेक्टेयर	नहरी	1.24
				20	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				21	0.202	हेक्टेयर	नहरी	1.80
				22/1	0.140	हेक्टेयर	नहरी	1.25
				22/2	0.088	हेक्टेयर	नहरी	0.78
				23/2	0.049	हेक्टेयर	नहरी	0.44
		74/7			0.100	हेक्टेयर	शे.मु.खा.	0.0
		74/25			0.027	हेक्टेयर	शे.मु.खा.	0.0
3	मखन सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी प्लॉट नं० 04 गुरूनगर, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।	22 एच	2	1	0.025	हेक्टेयर	नहरी	0.22
				2	0.025	हेक्टेयर	नहरी	0.22
				3	0.025	हेक्टेयर	नहरी	0.22
				8/1	0.078	हेक्टेयर	नहरी	0.69
				8/2	0.175	हेक्टेयर	नहरी	1.56
				9/1	0.153	हेक्टेयर	नहरी	1.36
				9/2	0.100	हेक्टेयर	नहरी	0.89
				10	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				11	0.240	हेक्टेयर	नहरी	2.13
				12/1	0.152	हेक्टेयर	नहरी	1.35
				12/2	0.101	हेक्टेयर	नहरी	0.90
				13/3	0.018	हेक्टेयर	नहरी	0.16
				13/4	0.014	हेक्टेयर	नहरी	0.12
				18	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				19	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				20/1	0.221	हेक्टेयर	नहरी	1.97
				20/2	0.007	हेक्टेयर	नहरी	0.06
				22	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.27
					0.062	हेक्टेयर	शे.मु.रा	0.0
					0.108	हेक्टेयर	शे.मु.खा	0.0
4	गुरजन्त सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।	20 एच	50	1	0.228	हेक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228	हेक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.227	हेक्टेयर	नहरी	2.02
				4	0.227	हेक्टेयर	नहरी	2.02
				5/1	0.021	हेक्टेयर	नहरी	0.19
				5/2	0.165	हेक्टेयर	नहरी	1.47
				6	0.228	हेक्टेयर	नहरी	2.03
				7	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				8	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				9	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				10	0.253	हेक्टेयर	नहरी	2.25
				6/1	0.177	हेक्टेयर	नहरी	1.57
				7/2	0.051	हेक्टेयर	नहरी	0.45
				14/2	0.051	हेक्टेयर	नहरी	0.45



3
मुख्य अधिकारी (कानून)
श्री करणपुर


कुलवन्त सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।	20 एच	74/25	15/2	0.100 हेक्टेयर	नहरी	0.89
		13		0.177 हेक्टेयर	गै.मु.खा	0.0
			3	0.114 हेक्टेयर	नहरी	1.01
			4	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			5	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			6	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			7	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			8/1	0.027 हेक्टेयर	नहरी	0.24
			8/2	0.087 हेक्टेयर	नहरी	0.77
			13/1	0.114 हेक्टेयर	नहरी	1.01
			14	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.27
			15/1	0.177 हेक्टेयर	नहरी	1.57
			15/2	0.076 हेक्टेयर	नहरी	0.68
			16	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			17	0.253 हेक्टेयर	नहरी	2.25
			18/1	0.114 हेक्टेयर	नहरी	1.01
			23/1	0.114 हेक्टेयर	नहरी	1.01
			24	0.228 हेक्टेयर	नहरी	2.03
			25	0.071 हेक्टेयर	नहरी	0.63
			74/7	0.126 हेक्टेयर	गै.मु.खा	0.0

यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन फक होने पर, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।


[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र 9 एफ एफ बडोपल में सुनाया गया।


[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

